कार्यालय नगर निगम, मुरादाबाद।

पत्रांक 70 /भ0क0ज0क0/न0नि0मु0/2023–24

दिनांक 26 .04.2024

–:: विज्ञप्ति ::–

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1075/ नौ–5–2018–93सा/2018 दिनांक 02.04.2018 एवं अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ (आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार) के पत्र संख्या–यू.आर.सी./1161/24/2018–19 दिनांक 13.11.2018 के द्वारा नगर निगम मुरादाबाद सीमान्तर्गत स्थित आवासीय/अनावासीय भवनों के जी0आई0एस0/पी0टी0एम0एस0 सामान्य सर्वे उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम–1959 दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा अधिकृत कार्यदायी संस्था अरहास टैक्नोलोजीस, प्रा0लि0 द्वारा नगर निगम मुरादाबाद के सभी 70 वार्डो का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसे दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी किया जाना है। इसी क्रम में नगर निगम व कार्यदायी फर्म के द्वारा संयुक्त रूप से लगभग 80 प्रतिशत मैचिंग/सत्यापन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत धारा–207 से 213 के नोटिस सम्बन्धित भवन स्वामियों/अध्यासियों को प्रेषित किये जा चुके है। उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि नगर निगम, मुरादाबाद के सभी 01 से 04 जोन के अन्तर्गत समय–समय पर कैम्पों का आयोजन करते हुये जी0आई0एस0 सर्वे से संबंधित आपत्तियों की सुनवाई की गयी, जिनका विज्ञापन समाचार पत्रों द्वारा भी प्रकाशित किया गया है।

अतः यदि कतिपय प्रकरणों से किसी भवन स्वामी/अध्यासी को उनकी सम्पत्ति के गृहकर निर्धारण से सम्बन्धित नोटिस प्राप्त नही हुआ हो, तो वह उपरोक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर नगर निगम कार्यालय टाउनहाल में संबंधित वार्ड लिपिक/राजस्व निरीक्षक प्रथम व द्वितीय से सम्पर्क कर नोटिस प्राप्त कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है। निर्धारित समयावधि में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रस्तावित कराकंन/कर निर्धारण सूची को अन्तिम मानते हुये उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 में निहित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत बिल/डिमांड नोटिस निर्गत कर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरादायित्व भवन स्वामी का होगा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

प्रतिलिपि :–

1. कार्यालय अधीक्षक को इस आदेश के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
2. श्री अनुज, सिस्टम मैनेजर (आउटसोर्सिंग) (आई0टी0), को इस आदेश के साथ प्रेषित कि नगर निगम मुरादाबाद की अधिकृत वैवसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र ''**अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान व दैनिक आज**'' के दैनिक संस्करण में जनहित में निःशुल्क विज्ञप्ति का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुरादाबाद।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner